अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे0मि0 अपील सं0 29/11-12

प्रफुल्ल राकेश.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सुकर पुजहर.....उत्तरकारी

।।आदेश।।

08-09-2017

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 29/11-12 प्रफुल्ल राकेश पे0 स्व0 देबु राकेश बनाम सुकर पुजहर पे0 स्व0 कुपचन्द पुजहर दोनो सा0 हजरन थाना- सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0 ई0 वाद सं0 95/03.04 में पारित आदेश दिनांक 10.10.07 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता पर निर्गत नोटिश का तामिला के पश्चात् भी अपीलकर्त्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं है। उनके ओर से किसी प्रकार का पक्ष अथवा सबूत के तौर कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा हजरन के जमाबंदी नं0 14 के अन्तर्गत दाग सं0 244 रकवा 13 डीसमल जमीन दुःखन पुहजर एवं कार्तिक पुजहर के नाम से गत गेजर सर्वे सेटेलमेन्ट मे दर्ज है। उत्तरकारी जमाबंदी रैयत दुःखन पुजहर के पुत्र कुपचन्द पुजहर के पुत्र है। उसी प्रकार मौजा हजरन के जमाबंदी सं0 15 के अन्तर्गत दाग सं0 243/A एवं 165 रकवा 13 डीसमल जमीन देबु राकेश के नाम से गत गैजर सर्वे सेटेलमेंट में दर्ज है। उभय पक्ष उक्त जमीन को अुनमंडल पदाधिकारी के एस0ई0 वाद सं0 77/1957-58 में पारित आदेश दिनांक 14.12.57 द्वारा आपस में वदलैन किया है, जिसकी बसगढ़ी आदेश दिनांक 22.04.1958 को अनुमंडल पदाधिकारी दुमका द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है। किन्तु निम्न न्यायालय में उत्तरकारी द्वारा दायर आर0ई0 वाद सं0 95/03.04 में पारित आदेश दिनांक 11.10.17 द्वारा प्रश्नगत दाग सं0 244 से अपीलकर्त्ता को उच्छेदित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा आवेदन में उल्लेखित वदलैन वाद के सम्बन्ध में कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उत्तरकारी द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं कागजातों के अवलोकन किया। उत्तरकारी द्वारा अपने लिखित बहस में कहा है कि अपीलकर्त्ता का बदलैन सम्बन्धी दावा सही नहीं है। अतः उनके आवेदन को अस्वीकृत किया जाय। उत्तरकारी द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया।

1.सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी तसदीर शिविर न्यायालय सरैयाहाट पूर्वी के टी0एल0 वाद सं0 16/87 में पारित आदेश दिनांक 06.09.88 की सच्ची प्रति की छाया प्रति।

2. हाल सर्वे में निर्गत पर्चा की छाया प्रति

3. सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय के आपत्ति वाद सं0 29/07 (प्रफुल्ल राकेश बनाम सुकर पुजहर) में पारित आदेश दिनांक 29.09.14 की सच्ची प्रति की छाया प्रति।

उत्तरकारी द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी तसदीर शिविर सरैयाहाट पूर्वी द्वारा अपीलकर्त्ता को बदलैन सम्बन्धी कागजात दाखिल नहीं किए जाने के कारण जमाबंदी सं0 14 के हाल खेसरा दाग सं0 414 से उच्छेदित किया गया है तथा जमीन रैयत को वापस करते हुए, उस पर बसगढ़ी भी दिया जा चुका है, एवं हाल पर्चा के जमाबंदी सं0 25 में सुकर पुजह पिता कुपचन्द पुजहर के नाम से दर्ज किया गया है। इसके विरूद्ध मे अपीलकर्त्ता द्वारा सहायक बन्दोबस्ती पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में आपत्ति वाद सं0 29/07 (प्रफुल्ल राकेश बनाम सुकर पुजहर) दायर किया गया जिसे सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा आदेश दिनांक 24.09.14 को अस्वीकृत किया गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता के पिता स्व0 देवु राकेश एवं उत्तरकारी के पिता स्व0 कुपचन्द पुजहर के साथ मौखिक रूप से जमीन बदलैन किया गया था। जिसमें अपीलकर्त्ता के पिता स्व0 देवु राकेश द्वारा मौजा हजरन के दाग सं0 243 धानी III के रकवा 08 डी0 के साथ उत्तरकारी के पिता कुपचन्द पुजहर के उसी मौजा के दाग सं0 244 धानी II के रकवा 13 डी0 जमीन बदलैन किया गया है। अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा 08 डीसमल धानी सेम जमीन देकर उत्तरकारी के पिता से 13 डी0 धानी दोयम जमीन बदलैन में लिया गया है। दर्शाया गया जमीन की किस्म एवं रकवा भी समतुल्य नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा बदलैन संबंधी किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत जमीन से उच्छेदित किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा बदलैन सम्बन्धी किसी प्रकार का कागजात सबूत के तौर दाखिल नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि प्रश्नगत जमीन की बदलैन किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के दावों को स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को वरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,

अपर समाहर्त्ता,